

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

नाम मदन लाल वनाम राम लाल
 नं. 01/18 सन् 015
राजसूबा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	--

24/18 बाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 14/2/18 को पेश हो सु
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा

राजसूबा

14/2/18 पत्रावली उपखण्ड उपस्थित/पीठासीन अधिकारी सौजन्य कार्य से नाउर है/अपमान पर है/पक्ष रिक्त है/अन्य: पत्रावली दिनांक 14/2/18 को पेश हो।
रीडर
 उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

14/2/18 पत्रावली पेश हुई। कमीशन कदी उपस्थित अधिकारी सं 01 व 2 को और से कमीशन की कुरेश/जो कमीशन अधिकारी पत्र पेश, जे काल हेतु सम्पन्न है।
 गम्भीर जे हेमा गम्भीर पत्रावली काले जवाबदाव, जे कमीशन सं 01 व 2 पर ल्याउ हेतु दिनांक 01/18 को पेश हो।

सु
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा

17/6/18 पत्रावली केम्य पदी अध्याय पेश हुई। उपखण्ड अदालत 350 ही मेहेवर सरवर भी उपस्थित।
 P.T.T

राजसूबा
Rishat
K. Kumar

तारीख
हुयम

अधिकारी
पदेन सहस्रकर्मचारी मय इनिशियल्स जज

01/18 वाड

उपेक्ष (प्रीतनवा) मदन माल ७१० बलम राम माल
कुमव

प्रमाणों का गुणवत्ता के आधार पर
 कुवले केन सिमा व मालिकारी मदन माल
 यथावंत इकार तथा चंपदेव के
 उत्तरी राम माल व कन्ह माल
 कुमावत के सिद्ध वादपम १/5
 188 R T M य निव इन कि माल
 कि मोजा वही माल लह वर 30
 क्षेत्र कुल 395 रकबा 0.07 बीघा
 भूमी का दीगणों के रकबा परीक्षण
 से राजस्व का मालिकों में वित्त रकबा
 हीं का दीगण वारमण समाज के हीं
 तथा उत्तरीगण कुमावत समाज के
 का दी गणों एवं उत्तरीगणों के मालिक
 को हीं कि सी प्रकृष्ट का संबंध न हीं हीं
 वाद गल 0-07 बीघा के विपरीत गणों
 का कोई का रनी सरोवर न हीं होते हुए
 भी वे का दीगणों की वाद गल भूमी
 पर आधे दिन दखलान्दाजी कर भूमी
 से दखलान्दा करवा चाहते हैं उत्तरीगणों
 का वसजू सूचना कोई उजाहरी
 पेश न हीं की परन्तु राज्य पक्ष की
 ओर से उल्लान्द उत्तरीगणों के उपरोक्त
 वाद गल 0-07 बीघा भूमी मालिक पर
 पड़त होकर खाली है तथा मालिकों
 पर राजस्व के रूप में उपरोक्त उपरोक्त
 से आ रही है। सार्वजनिक रास्ते
 होना उचित होता है कि

उपेक्ष अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर कोड़ा

न्यायालय उपस्थित 01/18
हुमन यथार्थता मय इतिहास जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुमन की तामील
में जारी हुए

~~करेडा (पीलवान)~~
~~मुद्रा...~~

शाम पंचायत द्वारा उक्त रास्ते को
सही व पुराने कराने हेतु मोहरम
कं करीर उपवाह गये। माइ पा
वरीक 10-12 फीट चौड़ाई होकर
गोने तरफ खाते करों की भूमि
खिपत है तथा धोर की बाज
पकी हुई है। राज्यपक्ष की ओर
से सब किपा गपा कि बाइगुल
भूमि पर प्रतिपरीक्षण वा कोई दरवाजा
नहीं की गये तथा न ही भूमि
हइपने के प्रपास किपा गपा है।
उपरोक्त के अनुसार पर स्पष्ट
है कि वही गण 05 188 R T नव
के तहत जो अमुले व पा हा गपा
उसे विरय कराने में किफाय
सही है।

अतः वरु प्रथम करी गण
किरु प्रतिपरीक्षण निराधार
तथा बेबुनिमाद होने से खारिज
किये जाने के अतिरा प्रदान
किये जाने है। पाइयुय नमि
करेडा के लिए जाकर मुक्ति है।
प्रभावली दुजर रिजिस्टर से कम
की जाकर प्रमाण शुमा ही है।
निष्पत्ति से इजाजत सुनाया
गया।

उपखंड अधिकारी पबेन
करेडा